

राजस्थान सरकार  
 न्यायालय भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बनेडा जिला - भीलवाडा  
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प - डा. लाल

-: आदेश :-

प्रार्थी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी डा. लाल व भूअनि. डा. लाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बनेडा की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू- राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कुण्ड तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की जनगणना संख्या 2073-76 में खाता संख्या 48 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>कुण्ड</u>	48	<u>गोपाल सि गोमल</u> <u>बु. 48</u>	<u>दा. गोपाल सि गोमल</u> <u>बु. 48</u>

डा. लाल  
 (रतनलाल रंगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा

क्रमांक - 607/18

दिनांक - 1/6/18

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये ।
2. प्रार्थी श्री दा. गोपाल सि गोमल को सूचनार्थ ।
3. रक्षित पत्रावली

डा. लाल  
 (रतनलाल रंगर)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट  
 भूअभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी)  
 बनेडा जिला - भीलवाडा